



कार्यालय
Office of The
अधिशायी अभियन्ता
Executive Engineer

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड - द्वितीय
Electricity Urban Distribution Division - II
33/11 केवी0 उपस्थान, सैक्टर - 16, वसुन्धरा, गा0बाद
33 / 11 KV Sub Station, Sector - 16, Vasundhara GZB.

पत्रांक : 7922 / वि0न0वि0उपखंड-द्वि0 / गा0बाद

दिनांक : 21/10/11

मुख्य वास्तुविद एवम् नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषय : आपके पत्रांक 970 दिनांक 07/10/2011 के सन्दर्भ में।

आपके उपरोक्त पत्रांक के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि मैसर्स एस0 वी0 पी0 बिल्डर प्रा0 लि0 द्वारा विभाग को दिये गये मानचित्र के अनुसार, विद्युत सप्लाई कोड 2005 में दिये गये प्राविधानों से भार की गणना कर ली गई है तथा उपरोक्त स्थल का कुल विद्युत भार (आकलित मांग) 2741 किलोवाट आयी है।

उपभोक्ता के आवेदन पर यह भार, मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सी-93 दिनांक 17/10/2011 द्वारा स्वीकृत कर दिया है। उपभोक्ता को उक्त भार 33/11 केवी0 उपसंस्थान, अहिंसाखण्ड, इन्दिरापुरम से 11 केवी0 फीडर न0-3 से दिया जाना प्रस्तावित है।

(महेश उपाध्याय)
अधिशायी अभियन्ता

Handwritten signature and date: 31/10/11

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद**

पत्रांक / मु०अ०गा०से० / वा० / प्रशा०अनु० /

(/ 11) दिनांक:

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषदीय पत्रांक 3022 सीयू-2/ बहुखण्डीय इमारत दि० 7.10.94, परिषदादेश सं० 548-कार्य/चौदह(वी) /राविप/ 98-3 केवी/ 95 दि० 24.4.98, निगमादेश सं० 757-कार्य/ चौदह/पाकालि-2001/3 केवी-95 दि० 28.6.01 एवं निगम के पत्रांक 721 ए०सी०/टैरिफ/मल्टी स्टोरी दि० 26.6.2001, निगमादेश सं० 1308/कार्य/चौदह/पाकालि/2001-03 केवी/95 दि० 18.10.01, सं० 385/कार्य/चौदह/ पाकालि/2002-03 केवी/95 दि० 13.3.02, एवं प्रबन्ध निदेशक, पविनिनि, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 1515 दि० 29.9.03 एवं विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न के विद्युतिकरण हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	स्थान का नाम	अपार्टमेन्ट	भार (कि०वा०)	टिप्पणी
1.	प्लाट खसरा नं०-527/1, गौव-कनावनी प्लाट नं०-13, अहिंसा खण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद मै० एस० वी० पी० बिल्डर्स इण्डिया लि०	आवासीय / वाणिज्यिक	2741 कि०वा० (दो हजार सात सौ इकतालिस)	
नोट:-	1. उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति 11 के०वी० विभव पर की जायेगी ।			

उक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- कार्य कराते समय उक्त वर्णित संदर्भों में दिये गये प्राविधानों का पालन अपने स्तर से सुनिश्चित कर ले।
- बहुतलीय भवन/संकलों में सभी ऊर्जा मापक (एनर्जी मीटर्स) भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेंगे। मीटर लगाने के लिये बिल्डर द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। ऊर्जाकरण के उपरान्त ऊर्जा मापक तक का वितरण तंत्र परिषद/निगम की सम्पत्ति हो जायेगा तथा इसके अनुरक्षण का दायित्व भी निगम का होगा। मीटर के बाद के तंत्र का अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता का होगा।
- अ- यदि बहुखण्डीय इमारत केवल आवासीय कार्य के लिये हो तो ऐसी इमारतों में एक बिन्दु संयोजन देना श्रेयस्कर होगा।
ब- यदि बहुखण्डीय इमारत में केवल वाणिज्यिक कार्य ही होने हैं तो ऐसी इमारतों के लिये भी एक बिन्दु संयोजन देना श्रेयस्कर होगा।
स- यदि बहुखण्डीय इमारत में आवासीय एवं वाणिज्यिक दोनों ही कार्य होने हैं तो वहां पर प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार संयोजन दिया जाये।
- समस्त बहुखण्डीय इमारतों में स्थापित सभी परिवर्तकों पर उपभोक्ता के व्यय पर मीटर्स स्थापित किये जायें जिससे कि ऊर्जा का मापन हो सके तथा एनर्जी ऑडिट किया जा सके। अधिक लाइन हानियों/विद्युत चोरी पाये जाने पर क्षेत्र के संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता समान रूप से उत्तरदायी होंगे।
- प्रत्येक भावी उपभोक्ता से विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग शुल्क, परिषद/निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार सर्विस कनेक्शन चार्ज, सिस्टम लोडिंग चार्ज एवं सिक्वोरिटी एवं अन्य चार्ज भी देय होंगे। नये संयोजन निर्गत होने के समय परिषद/निगम द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकता पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- प्रभावित 400/220/132 केवी उप-संस्थानों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौति की जायेगी।
- विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने की स्थिति में इकाई की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की सम्भावना हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार शेडयूल्ड तथा आपातकालीन रोस्ट्रिंग की जा सकती है।
- उपनगरी/बहुखण्डीय भवन के लिये स्वीकृत कुल विद्युत भार से अधिक भार के संयोजन निर्गत नहीं किये जायेंगे। स्वीकृत विद्युत भार की सीमा से अधिक विद्युत भार की आवश्यकता होने पर विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण के कार्य की लागत विकासकर्ता अथवा भवन की को-ओपरेटिव द्वारा वहन की जायेगी।
- उपनगरीयों/भवन संकलों में कॉमन फेसिलिटीज हेतु प्रथक विद्युत कनेक्शन विकासकर्ता/को-ओपरेटिव सोसायटी, रेजीडेंट एसोसियेसन्स/इण्डीविजुअल आदि को प्रचलित नियमों के अनुसार दिया जायेगा।
- खण्ड का दायित्व होगा कि विद्युतिकरण से पूर्व, कारपोरेशन के उक्त वर्णित आदेशों के प्राविधानों के तहत विकासकर्ता के खर्च पर लाइन/उपकरणों का सुदृढीकरण सुनिश्चित करेंगे।

9. निर्माण कार्य के लिये वांछित विद्युत भार हेतु विकासकर्ता अस्थायी संयोजन के लिये प्रथक अध्याचना करेगा। यह अस्थायी संयोजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम चरण में अधिकतम दो वर्ष के लिये स्वीकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य में अधिक समय लगन की स्थिति में उस समय रहते अवधि में विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा। अस्थायी संयोजन को किसी भी दशा में स्थायी नहीं किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि संयोजन समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद ही ऊर्जीकृत किया जाये तथा इसकी पुष्टि इस कार्यालय को की जायेगी। उपमहाप्रबन्ध तदोपरान्त प्रति माह एनर्जी ऑडिट का अनुश्रवण करने/अधिक लाइन हानियाँ/विद्युत चोरी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर इस कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।

11. यदि उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत डाइंग से अधिक निर्माण कार्य कराया गया है, तो अधिक निर्माण के लिये उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी होगा, भविष्य में यदि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही आवास विकास/विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा की जाती है, उसका उत्तरदायित्व विद्युत वितरण निगम पर नहीं होगा।

12. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4.28 में निहित प्राविधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराये।

13. प्रस्तावित परिवर्तक उपभोक्ता के परिसर में ही लगाये जायेंगे।

ए० पी० मिश्रा

मुख्य अभियन्ता(वितरण)

पत्रांक: C-93 / मु०अ०गा०क्ष० / वा० / प्रशा०अनु० / तददिनांक: 17/10/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय गाजियाबाद को उनके पत्रांक 5217 दिनांक 14.10.11 के सदर्थ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड- द्वितीय, गाजियाबाद (अनुमोदित मानचित्र सहित)
3. उपभोक्ता

संलग्न: अनुमोदित मानचित्र



(अनिल मिश्रा)

अधिशासी अभियन्ता(अधि०)

कृते मुख्य अभियन्ता